न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 11/2019

आर.सी.एम.एस. : 2019/00048

अपीलान्ट

1. मोतीसिंह पुत्र उदेसिंह जाति रावत निवासी मुडिया तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली (राज.)
2. नारायणसिंह पुत्र डाऊसिंह जाति रावत निवासी मुडिया तहसीलद मारवाड़ जंक्शन जिला पाली (राज.)
3. थानसिंह पुत्र सुजानसिंह जाति रावत निवासी मुडिया तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली (राज.)

बनाम

रेस्पोडेन्ट :–

राजस्थान राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन जिला पाली (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

अपीलाण्टगण की ओर से अधिवक्ता श्री श्रवणसिंह चौहान

रेस्पोडेण्ट की ओर से सरकारी पैरोकार

–: निर्णय :–

दिनांक:– 11/02/2021

अपीलाण्टगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन के प्रकरण संख्या 01/2019 अनवान सरकार बनाम मोतीसिंह वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 21.02.2019 को अपास्त कराने हेतु प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्टगण ने वक्त बहस कथन किया कि हल्का पटवारी बोरीमादा ने दिनांक 22.01.2019 को ग्राम मुडिया पटवार हल्का सायल के खसरा नम्बर 41 रकबा 0.1012 किस्म गैर मुमकिन सेरिया पर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन के समक्ष प्रस्तुत की जिस पर न्यायालय ने प्रकरण संख्या 01/2019 दर्ज कर गैर सायल के नाम दिनांक 21.02.2019 को न्यायालय में उपस्थित होने बाबत नोटिस जारी किए। जिस पर गैर [illegible] न्यायालय में उपस्थित हुए तथा उन्होंने न्यायालय में निवेदन किया [illegible] खत्म हुआ है व किसी प्रकार का कब्जा नहीं है, तब न्यायालय ने उनके आदे[illegible] पर हस्ताक्षर करवा कर वापिस पेशी पर आने की हिदायत देकर भेज दिया। इसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने उसी दिवस दिनांक 21.02.2019 को अपीलाण्टगण को तीन माह के सिविल कारावास व भौतिक रूप से बेदखल करने के साथ 100/– रूपये के जुर्माने से दण्डित करने का आदेश पारित कर दिया, जो काबिल निरस्त है। अधीनस्थ न्यायालय ने सिविल

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandra Bhan Singh Bhati
Date: 2021.03.05 17:20:43 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

कारावास जैसे कठोर दण्ड से दण्डित करने से पूर्व अपीलाण्टगण को न तो सुनवाई का अवसर दिया, न ही कोई साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिया। अपीलाण्टगण की कृषि भूमि खसरा नम्बर 41 के पास में स्थित है तथा खसरा नम्बर 40 व 49 के बीच में खसरा नम्बर 41 गै.मु. सेरिया स्थित है, जो मौके पर खुला हुआ है। जिसका रास्ता जहाँ खुलता है, उसके सामने जस्साराम पुत्र गहनाराम ने अवैध मकान का निर्माण करवाया है, इस संबंध में अपीलाण्टगण ने उसके विरूद्ध प्रकरण दर्ज करवाया है। अपीलाण्टगण का जैर अपील आराजी पर न तो पहले कब्जा रहा है, न ही अब कब्जा है, फिर भी हल्का पटवारी ने पश्चातवर्ती अतिक्रमण बाबत गलत टी.पी. रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में पेश की है, जबकि खसरा नम्बर 41 पर से दिनांक 21.01.2019 को बिना किसी अतिक्रमी का नाम लिखे, अतिक्रमण हटाने बाबत रिपोर्ट तहसीलदार के समक्ष पेश की गई तथा दिनांक 22.01.2019 को इसी आधार पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए टी.पी. रिपोर्ट पेश की गई। अपीलाण्टगण द्वारा दिनांक 24.01.2019 को खसरा नम्बर 40 व 49 का सीमांकन करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही किए, बिना ही मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर जैर अपील आदेश पारित कर दिया, जो काबिल निरस्त है।

सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा जैर निगरानी आराजी पर पुर्व में अतिक्रमण किया था, जिस पर हल्का पटवारी बोरीमादा, भू. अ. निरीक्षक कण्टालिया एवं मौतबिरानों की उपस्थित में दिनांक 21.01.2019 को जैर अपील आराजी से बेदखल किया गया तथा इसके पश्चात अपीलाण्ट द्वारा पूनः जैर अपील आराजी पर अतिक्रमण करने पर हल्का पटवारी बोरीमादा ने टी.पी. रिपोर्ट मातहत अदालत में पेश की, जिस पर प्रकरण दर्ज करते हुए मातहत अदालत ने अपीलाण्ट के विरूद्ध जो आदेश पारित किया है। वह विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हल्का पटवारी बोरीमादा द्वारा दिनांक 22.01.2019 को अपीलाण्टगण के द्वारा ग्राम मुडिया के खसरा नम्बर 41 किस्म गै.मु. सेरिया की भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किए जाने से प्रकरण दर्ज किया तथा तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन ने प्रकरण दर्ज कर अपीलाण्टगण को नोटिस जारी किए गए, जिस पर दिनांक 21.02.2019 को दो अपीलाण्ट न्यायालय में उपस्थित हुए। इसके पश्चात जैर अपील आदेश दिनांक 21.02.2019 को पारित किया गया। मातहत अदालत की पत्रावली के संलग्न रिपोर्ट दिनांक 21.01.2019 से यह स्पष्ट है कि भू अभिलेख निरीक्षक कंटालिया एवं हल्का पटवारी बोरीमादा ने पुलिस इमदाद [illegible] की उपस्थिति में खसरा नम्बर 41 किस्म गै.मु. रास्ते से [illegible] पुनः कब्जा नहीं करने बाबत पाबन्द किया, लेकिन मौके फर्द रिपो[illegible] खसरा नम्बर 41 की भूमि पर किन व्यक्तियों ने अतिक्रमण किया, [illegible] नहीं है। जबकि मौका फर्द में अतिक्रमित आराजी जिन व्यक्तियों से मुक्त कराई गई है, उनके नाम का अंकन किया जाना चाहिए था। इसके पश्चात हल्का पटवारी बोरीमादा एवं भू अभिलेख निरीक्षक, सिरीयारी ने दूसरे ही दिन दिनांक 22.01.2019 को खसरा नम्बर 41 किस्म गै.मु. रास्ते

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandra Bhan Singh Bhati
Date: 2021.03.05 17:20:43 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

की भूमि पर अपीलाण्टगण द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण किए जाने बाबत टी.पी.रिपोर्ट तैयार की गई। जिसके आधार पर तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन ने प्रकरण दर्ज कर अपीलाण्टगण को तलब कर, जैर अपील आदेश पारित कर दिया। जबकि अधिवक्ता अपीलाण्ट ने कथन किया कि उनका खसरा नम्बर 41 पर कब्जा नहीं है तथा खसरा नम्बर 41 के आसपास के खसरा नम्बर क्या है, कितने क्षेत्रफल में क्या-क्या भूमि स्थित है। यह पैमाईश कर सीमांकन करने पर ही ज्ञात हो सकता है, इस संबंध में अपीलाण्ट मोतीसिंह द्वारा तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन के समक्ष खसरा नम्बर 49 का सीमांकन किये जाने बाबत दिनांक 24.01.2019 को आवेदन पेश किया, पत्रावली संलग्न आवेदन की प्रति से स्पष्ट है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर जैर अपील आदेश को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 01/2019 में पारित निर्णय दिनांक 21.02.2019 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे ग्राम मुडिया के खसरा नम्बर 41 किस्म गै.मु. सेरिया एवं उसके आप-पास के खसरों की पैमाईश कर सीमांकन करे तथा इसके पश्चात जिन व्यक्तियों का खसरा नम्बर 41 पर अतिक्रमण पाया जाता है, उनको सुनवाई का पूर्ण अवसर देते हुए, पुनः विधिनुसार निर्णय पारित करे। तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन को निर्णय की प्रति के साथ उनकी मूल पत्रावली पालनार्थ भिजवाई जावे।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 11/02/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Chandra Bhan Singh Bhati
Date: 2021.03.05 17:20:43 IST
Reason: SelfAttested